



Ref: SEC/SE/2020-21

June 30, 2020

Scrip Symbol: NSE-- DABUR, BSE Scrip Code: 500096

To,
Corporate Relation Department
BSE Ltd.
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street, Mumbai- 400001

National Stock Exchange of India Ltd
Exchange Plaza, 5th Floor
Plot No. C/1, G Block Bandra – Kurla Complex
Bandra (E), Mumbai – 400051

Sub: Publication of Notices for Board Meeting

Dear Sirs,

In compliance of provisions of Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are pleased to enclose copies each of the Financial Express (English Daily) and Jansatta (Hindi Daily) (both published in all editions) dated 30th June, 2020 in which notices for intimation of Board Meeting scheduled for 30.07.2020 to consider Un-audited financial results for the quarter ending on 30.06.2020 have been published.

Submitted for your information and records pl.

Thanking you,
Yours faithfully,
for DABUR INDIA LIMITED

SD/-
(A K JAIN)
E.V.P (Finance) & Company Secretary

Europe set to extend travel ban for US residents

BLOOMBERG
Brussels, June 29

EUROPEAN UNION GOVERNMENTS are poised to extend a travel ban for U.S. residents for at least two weeks, according to a draft of a decision due to be formally adopted on Tuesday.

The wording of the decision, seen by Bloomberg, signals that the ban disrupting both business and leisure travel across the Atlantic won't be lifted until US authorities control the spread of the coronavirus pandemic. In a move that may not be well received in Washington, the bloc will also lift travel restrictions for Chinese residents as of July 1, on the condition that Beijing confirms that the same applies to EU citizens. The region's governments will say that they will only be allowing visits from countries

where the average number of infections per 100,000 inhabitants over the past two weeks is similar or below the level of the EU and that the trend of new cases is declining. The list will be subject to biweekly updates, though EU governments could

take urgent measures if a situation in one of the approved countries deteriorates, according to the document.

The decision is being put to a vote, and needs the backing from a super majority of EU member states to come into

force as of Wednesday. The so-called written procedure for its approval ends on Tuesday at noon in Brussels.

In addition to China, residents of the following coun-

tries are set to be allowed to travel to Europe as of July 1: Algeria, Australia, Canada, Georgia, Japan, Montenegro, Morocco, New Zealand, Rwanda, Serbia, South Korea,

Thailand, Tunisia and Uruguay. While border controls are a national competence of individual governments, the document commits member states to coordinate their approach and

not lift the ban for countries outside the list. Still, there are loopholes: Denmark and Ireland have opted out of the common border policy, meaning they aren't bound by the decision.

Moreover, US citizens with residence permits in EU countries, European citizens living in the US, as well as students, medical professionals and diplomats are still allowed in.

DABUR INDIA LIMITED
CIN: L24230DL1975PLC007908
Regd. Office: 8/3, Asaf Ali Road, New Delhi - 110 002
Tel. No. - 011-22253489, Fax No. - 011-22222051
Website - www.dabur.com; e-mail: investors@dabur.com

NOTICE

In compliance of Regulation 47(1)(a) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 this is to inform that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Thursday, the 30th July, 2020 at New Delhi to, inter-alia, consider and approve the Unaudited Financial Results for the Quarter ending on 30th June, 2020.

Investors may also refer to the websites: www.dabur.com, www.nseindia.com or www.bseindia.com

for Dabur India Limited
Sd/-
(AK Jain)
E.V.P. (Finance) & Company Secretary

New Delhi
30th June, 2020

INTERNATIONAL DATA MANAGEMENT LIMITED

CIN: L72300DL1977PLC008782
Regd. Off.: 806, Siddharth, 96, Nehru Place, New Delhi - 110019
Tel: 011-26444812, E-mail: idmcomplianceofficer@gmail.com
Website: www.idmlimited.in

AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER & HALF YEAR ENDED MARCH 31, 2020
[pursuant to Regulation 47 (1) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015]

EXTRACT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31st MARCH, 2020
(Rs. in Lacs)

Sl. No.	PARTICULARS	Quarter Ended			Year Ended	
		31.03.2020	31.12.2019	31.03.2019	31.03.2020	31.03.2019
		Audited	Un-Audited	Audited	Audited	Audited
1	Total Income from operations	0	0	0	0	0
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	(1.28)	(1.06)	(2.87)	(17.22)	(16.48)
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(1.28)	(1.06)	(2.87)	(17.22)	(16.48)
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(1.28)	(1.06)	(2.87)	(17.22)	(16.48)
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	(1.28)	(1.06)	(2.87)	(17.22)	(16.48)
6	Equity Share Capital	220	220	220	220	220
7	Reserves (excluding Revaluation Reserves) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year				(431.11)	(413.89)
8	Earnings Per Share (of Rs.10 /- each) (for continuing and discontinued operation)-					
	1. Basic:					
	2. Diluted:	(0.05)	(0.04)	(0.13)	(0.07)	(0.07)

NOTES A:
1 The above is an extract of the details format of Quarterly/Annual Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Annual Financial Results are available on the Stock Exchange website; www.bseindia.com
2 The above results have been reviewed by the Audit Committee and taken on record by the Board of Directors in their respective meetings held on June 29, 2020 and have been reviewed by the Statutory Auditors of the Company.
3 Previous year/periods figures have been regrouped/reclassified, wherever necessary.

For International Data Management Limited
Sd/-
Sashi Sekhar Mishra
(Manager & Director)
DIN: 03072330
Address: H-126, Klokari Jang Pura, Delhi-110014

Place : New Delhi
Date : June 29, 2020

LUX INDUSTRIES LIMITED
CIN : L17309WB1995PLC073053
Regd. Office: 39, KALI KRISHNA TAGORE STREET, KOLKATA - 700 007
Email: info@luxinnerwear.com, Website: www.luxinnerwear.com, Ph : 033-40402121, Fax : 033-40012001

Promises and performances that ensure comfort

Extract Of Audited Financial Results For The Quarter And Year Ended 31st March, 2020

(₹ in Lakhs)

PARTICULARS	STANDALONE				CONSOLIDATED			
	QUARTER ENDED		YEAR ENDED		QUARTER ENDED		YEAR ENDED	
	31.03.2020	31.03.2019	31.03.2020	31.03.2019	31.03.2020	31.03.2019	31.03.2020	31.03.2019
Total income from operations (net)	28,640.94	39,118.79	1,20,690.60	1,21,787.85	28,824.85	39,120.39	1,20,989.93	1,21,609.03
Net Profit / (Loss) before exceptional items and tax	4,169.74	5,743.25	16,696.86	15,464.14	4,089.17	5,664.56	16,344.72	15,211.25
Net Profit / (Loss) after exceptional items before tax	4,169.74	5,743.25	16,696.86	15,464.14	4,089.17	5,664.56	16,344.72	15,211.25
Net Profit / (Loss) after tax attributable to the owners of the Company	3,055.31	3,763.49	12,601.30	10,131.39	3,015.41	3,684.80	12,288.66	9,879.84
Total Comprehensive Income for the period (Net of Tax) attributable to the owners of the Company	3,033.93	3,786.42	12,586.58	10,139.11	2,994.11	3,707.73	12,274.03	9,887.56
Equity Share Capital (Face value Rs. 2/- per share)	529.98	529.98	529.98	529.98	529.98	529.98	529.98	529.98
Earnings Per Share (Basic & Diluted) (Face value Rs. 2/- per share)**	12.10	14.90	49.90	40.12	11.94	14.59	48.66	39.12

* There was no exceptional and extra-ordinary item during the quarter and year ended 31st March, 2020.
** Not Annualised

Notes :

- The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on June 29, 2020.
- The Board of Directors have recommended dividend of 125% (Rs. 2.50 per equity share of Rs. 2 each) for the financial year ended 31 March 2020 which is subject to approval of the shareholders in the Annual General Meeting. An interim dividend of 500% (Rs. 10 per equity share of Rs. 2 each) has already been paid in February 2020. The total dividend for the financial year ended 31 March 2020 is 625% (Rs. 12.50 per equity share of Rs. 2 each) (Previous Year 175% - Rs. 3.50 per equity share of Rs. 2 each).
- A Scheme of Amalgamation of the Company with J.M. Hosiery & Co. Limited and Ebell Fashions Private Limited has been approved on June 26, 2018 by the Board of Directors of the respective companies and has been filed with the stock exchanges. Pending the regulatory approvals, no effect of the proposed merger has been considered in this Statement.
- The above is an extract of the detailed format of Audited Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Audited Financial Results are available on the Stock Exchange website (www.bseindia.com) and www.luxinnerwear.com and on the Company's website (www.luxinnerwear.com).

By Order of the Board
for LUX INDUSTRIES LIMITED
Sd/- Ashok Kumar Todi
Chairman
DIN-00053599

Place : Kolkata
Date : June 29, 2020

Few of our Best Sellers

LUX COZI LUX VENUS ONN LUX Inferno LUX COTT'S WOOL one8

ADVERTORIAL

An initiative by **RED** Read. Engage. Deliver.

THE WAY FORWARD

The Way Forward to Avert Falling Sick!

Don't take 'Unlock 1' irresponsibly as your alertness and awareness is the key to safeguarding your family as well as others from COVID-19.

WITH THE lifting of the lockdown 4.0, many restrictions were eased off as we entered Unlock 1 earlier this month. But does lifting of the lockdown mean that COVID-19 has become less severe? It doesn't seem so from the current state of affairs. What it means is we have to gradually build up our flailing economy, making sure that we're taking all the precautionary measures to stay safe while also ensuring the safety of others.

To strengthen the economy, be sure to 'Buy Indian'. This is the least you can do in these times to save our economy from tumbling down. This will also ensure a push for our local manufacturing industries which have been going through tumultuous times. Also, make sure that your immediate surroundings are regularly sanitised, disinfected and deep cleaned to get rid of the microscopic organisms like viruses, germs, bacteria etc. Maintaining a strict hygienic regimen on a daily basis will go a long way in ensuring a sound health in these times. While no vaccine is available yet for the novel coronavirus, cleaning hands with sanitisers containing at least 60 percent alcohol is considered an effective way to avoid the infection.

Further to curb fomite transmissions of infections, especially in offices and malls, it is essential to get them disinfected and sanitised using commercial disinfection and sanitisation services. The deep-cleaning, disinfection, and sanitisation services ensure that our offices, public places, vehicles and homes remain clean and tidy and free from germs and bacteria.

On the work front, it is true that a large part of our population is still remotely working. However, in a few months from now, post the complete lifting of the lockdown, car sanitisation will be a huge



cause for worry as people will consider taking this service to ensure their safety. Car sanitisation services can easily eliminate harmful germs, resting on interiors made of fabric, plastic and leather, to render them germ free for months to come. Further, car disinfection services aim to keep the car interiors germ free and can eliminate up to 99.9% microscopic organisms via fogging.

Moreover, to help the economy revive and industries thrive, many states have opened hotels and restaurants with proper procedures in place. At some places, malls have also started to open with all safety measures in place. However, the onus is upon us to maintain a strict vigil regarding hygiene to stay safe and sound. In this regard, work on increasing your immunity through various Yoga postures and Meditation. Promoting immunity in families is going to be a major challenge as a family comprises not just of healthy adults but also immunocompromised people with conditions like diabetes, heart diseases

etc. So, staying at the top of your health must be the priority now and forever.

Whenever you're short of ideas remember that our

Indian kitchen is full of remedies for any sort of disease. The spices that we use in our day-to-day cooking provide not just a good taste to our food but

also many anti-allergic, anti-viral properties. These spices promote balance in any physiology. Concentrate on eating food that increases your immunity, as the stronger you're from within, the better it

is. Your alertness and awareness will not just save you and your family but thousands of others who can unknowingly come in contact with the COVID-19 infection.

THANK YOU CORONA WARRIORS

Extraordinary times need Extraordinary actions

Dear Doctors, Nurses, Police, Defence Personnel and all others who cared, We IBAsians salute you for setting up an example and inspiration for the future generations.

indus business academy
IBA BANGALORE - www.iba.ac.in

Safeguarding land, sea and air space

BHARAT ELECTRONICS LIMITED
(A Govt of India Enterprise under the Ministry of Defence)
Regd. Office: Outer Ring Road, Nagavara, Bengaluru-560 045, India.
Empowering the Nation's Defence Forces

Toll Free No.: 1800 425 0433
CIN No.: L32309KA1954GOI000787
www.bel-india.in

Bharat Electronics Ltd (BEL), India's foremost Defence electronics company, has set its target to equip the country's armed forces with a wide range of products & systems and empower the soldiers during their decisive missions. A multi-product, multi-unit company, BEL specialises in providing end-to-end customised solutions by maintaining world-class quality in all its processes.

Space Electronics, Coastal Surveillance System, Tank Upgrade, Weapon Systems, Satcom for Digital Mobile Radio Relay, Homeland Security & Smart Cities, Avionics, Radars, Electro Optics, Military Communications, EVM & VUPAT

* **RED** (READ. ENGAGE. DELIVER.) IS THE MARKETING SOLUTIONS TEAM OF THE INDIAN EXPRESS GROUP

महाराष्ट्र में बिना और रियायत के पूर्णबंदी 31 जुलाई तक बढ़ी

मुंबई, 29 जून (भाषा)।

महाराष्ट्र सरकार ने संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच सोमवार को प्रदेश में कोविड-19 संबंधी पूर्णबंदी, बिना कोई और रियायत दिए, 31 जुलाई तक बढ़ा दिया। प्रदेश में पूर्णबंदी 30 जून को खत्म हो रहा था और अब इसे एक और महीने के लिए बढ़ा दिया गया है।

मुख्य सचिव अर्जुन मेहता की ओर से सोमवार को जारी एक आदेश में कहा गया है कि मास्क लगाने, शारीरिक दूरी, सभाओं पर पाबंदी और अन्य नियमों का पालन जारी रहना चाहिए। प्रतिबंधों में किसी नई ढील की घोषणा नहीं की गई है और मिशन बिगिन अगेन के तहत पूर्व में दी गई छूट इस पूर्णबंदी के दौरान भी नागरिकों के लिए जारी रहेगी। आदेश स्पष्ट रूप से लोगों की अंतरराज्यीय आवाजाही और बिना किसी आपात स्थिति के लंबी दूरी की यात्रा को प्रतिबंधित करता है। सरकार ने सलाह दी है कि जहां तक संभव हो सके पर से ही दफ्तर का काम किया जाए।

मेहता के आदेश में कहा गया है कि निजी कार्यालय 10 फीसद कर्मचारियों या 10 लोगों, जो भी अधिक हो, तक के साथ काम

अंतरराज्यीय आवाजाही और बिना किसी आपात स्थिति के लंबी दूरी की यात्रा प्रतिबंधित रहेगी

निजी कार्यालय में 10 फीसद कर्मचारी रहेंगे और राज्य सरकार के लिए यह अनुपात 15 फीसद होगा

कर सकते हैं। राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए यह अनुपात 15 फीसद या 15 कर्मचारी, जो भी ज्यादा हो, का है। आदेश में कहा गया कि विभिन्न सेवाओं को चरणबद्ध रूप से खोला जाएगा। आदेश में कहा गया की अनिवार्य सेवाओं से जुड़ी सभी दुकानें संचालित होती रहेगी। इसमें कहा गया कि गैर अनिवार्य दुकानें 31 मई और चार जून को जारी आदेशों के तहत, और अपने-अपने नगर निगमों की नीतियों के मुताबिक संचालन जारी रखेंगी।

आदेश में कहा गया कि मॉल और

वाणिज्यिक परिसरों को छोड़कर, सभी गैर अनिवार्य बाजार, बाजार-क्षेत्र और दुकानें सुबह नौ बजे से शाम पांच बजे तक खुली रहेंगी।

इसमें कहा गया कि शराब की दुकानों का संचालन जारी रहेगा और जहां इजाजत होगी वहां घर पर डिलीवरी भी की जा सकेगी। इसमें कहा गया कि अनिवार्य व गैर-अनिवार्य चीजों के लिए ई-कॉमर्स गतिविधियां जिनमें विभिन्न तरह की होम डिलीवरी सेवाएं भी आती हैं पहले की तरह जारी रहेंगी। जिन औद्योगिक इकाइयों को खोलने की इजाजत अभी है वो आगे भी काम जारी रख सकती हैं। आदेश में कहा गया कि जिन सार्वजनिक और निजी निर्माण स्थलों पर काम पहले ही शुरू हो चुका है वो आगे काम जारी रख सकते हैं। मार्च के अंत से बंद स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान और शॉपिंग मॉल उन प्रतिष्ठानों में शामिल हैं जिन्हें खोलने की इजाजत अभी नहीं दी गई है।

महाराष्ट्र में रविवार को एक दिन में कोविड-19 के सबसे अधिक 5,493 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या 1,64,626 हो गई थी। राज्य में अब तक कुल 7,429 लोगों की मौत हो चुकी है।

सीए परीक्षा छोड़ने का विकल्प लचीला हो : सुप्रीम कोर्ट

पीठ ने परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाने का सुझाव दिया

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 29 जून।

सुप्रीम कोर्ट ने आइसीएआइ को निर्देश दिया है कि चार्टर्ड एकाउंटेंट (सीए) की परीक्षा के संबंध में वह नई निर्देशिका जारी करे। इसमें अदालत के सुझावों को शामिल किया जाए और परीक्षा छोड़ने के विकल्प के मुद्दे पर लचीला रुख अपनाया जाए और परीक्षा केंद्रों की संख्या भी बढ़ाई जाए। साथ ही परीक्षा के आयोजन में केंद्रीय गृह मंत्रालय की कोविड-19 संबंधी हिदायतों का पालन किया जाए।

न्यायमूर्ति एएम खानविलाकर, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना के एक खंडपीठ ने



उत्तराखंड में हाथियों की संख्या बढ़कर 2026 हुई

देहरादून, 29 जून (भाषा)।

उत्तराखंड में हाथियों की संख्या बढ़कर 2026 हो गई है और वर्ष 2017 के मुकाबले यह 10.17 फीसद बढ़ी है।

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में सोमवार को हुई उत्तराखंड राज्य वन्य जीव सलाहकार बोर्ड की बैठक में जानकारी दी गई कि छह जून से आठ जून तक तीन दिन उत्तराखंड में हाथियों की गणना की गई जिसमें पाया गया कि राज्य में कुल 2026 हाथी हैं। वर्ष 2012 में 1559 जबकि 2017 में 1839 हाथी थे और इस प्रकार वर्ष 2017 से अब तक हाथियों की संख्या में 10.17 फीसद की वृद्धि हुई है।

बैठक में बताया गया कि इसी तरह इस वर्ष 22 से 24 फरवरी तक जलीय जीवों की गणना की गई जिसमें राज्य में 451 मगरमच्छ, 77 घड़ियाल और 194 ऊदबिलाव मिले। बोर्ड की बैठक में यह भी बताया गया कि वर्ष 2020 से

2022 तक राज्य में स्नो-लेपर्ड (हिम तेंदुओं) की संख्या का आकलन भी किया जाएगा। राज्य के 23 फीसद भौगोलिक क्षेत्र में हिम तेंदुए हैं।

बैठक में बताया गया कि कार्बेंट बाघ अभयारण्य व राजाजी बाघ अभयारण्य में बाघों और जंगली हाथियों की धारण क्षमता का अध्ययन भारतीय वन्यजीव संस्थान से कराने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हो गया है। इसी प्रकार जगह से गैंडों को लाए जाने के लिए स्थल उपयुक्तता रिपोर्ट मिल गई है तथा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की सीमा के ‘रेशनलाइजेशन’ (पुनः सीमांकन) के लिए संबंधित जिलाधिकारियों, प्रभागीय वनाधिकारियों और भारतीय वन्यजीव संस्थान के प्रतिनिधियों की एक समिति का गठन कर लिया गया है।

यहां जारी एक सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि बैठकों में लिए गए निर्णयों की अनुपालना समयबद्धता के साथ

सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि एनएच 72-ए उत्तराखंड के लिए बहुत अधिक महत्व का है और इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए स्वीकृतियों के लिए आवश्यक औपचारिकताओं में किसी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए।

रावत ने कहा कि कार्बेंट रिजर्व व राजाजी टाइगर रिजर्व में गैंडे के ‘रिस्ट्रोटोइक्शन’ का काम समयबद्ध तरीके से होना चाहिए। बैठक में गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण विभिन्न मार्गों के निर्माण के प्रस्तावों को अनुमति के लिए राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड को भेजे जाने पर सहमति दी गई। इसी प्रकार सौग बांध परियोजना के निर्माण से संबंधित वन भूमि हस्तांतरण और जौलीग्रांट हवाई अड्डे के विस्तारीकरण के लिए वन भूमि हस्तांतरण के लिए अनुमति का प्रस्ताव भी राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड को भेजा जाएगा।

घनी आबादी वाला यह शहर विनाशकारी परिणामों का सामना कर रहा है।

मराठी दैनिक ने कहा कि अगर ये राज्य ज्यादा से ज्यादा अवसरंचाएँ खड़ी करें तो गडकरी की चिंता का अपने आप समाधान हो जाएगा। संपादकीय में कहा गया कि पूर्णबंदीलांकडाउन के दौरान करीब सात से आठ लाख प्रवासी मजदूर मुंबई से उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और ओड़ीशा गए। उड़ब ठाकरे नीत पार्टी ने कहा, ‘करीब तीन लाख लोग पुणे से गए और अब उन्होंने वापस आना शुरू कर दिया है। इसी कारण मुंबई और पुणे पर बोझ बढ़ रहा है। यह साफ तौर पर दिखाता है कि कोरोना के खतरे से ऊपर भूख का खतरा है। लोग जोखिम लेने के लिए तैयार हैं और नौकरी की तलाश में सफर कर रहे हैं।’ शिवसेना ने पूछा कि केन्द्र सरकार ने जून 2015 में ‘स्मार्ट सिटी’ मिशन शुरू किया था लेकिन इतने वर्षों में कितने शहर स्मार्ट सिटी बने?

शिक्षा क्षेत्र के लिए कोरोना एक झटका : यूनेस्को

नई दिल्ली, 29 जून (भाषा)।

यूनेस्को की वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट के मुताबिक कोविड-19 वैश्विक महामारी से शिक्षण क्षेत्र को काफी नुकसान पहुंचेगा।

इस रिपोर्ट में सरकारों से ऐसी शिक्षा प्रणालियों का फिर से निर्माण करने की अपील की गई है जो बेहतर हो और जिसकी सब तक पहुंच हो। रिपोर्ट में कहा गया कि कोरोना संक्रमण की दरों पर स्कूल बंद करने के प्रभाव का आकलन ‘अनिश्चितताओं से भरा है क्योंकि निर्णायक साक्ष्यों को सामने आना अभी बाकी है जो कई बार इस मुद्दे को काफी हद तक विभाजनकारी बनाता है।’ इसमें कहा गया, ‘कुछ शिक्षक जो संवेदनशील समूहों से ताल्लुक रखते हैं, उन्हें चिंता है कि उनकी सेहत जोखिम में है। ऐसे बहुत कम देश हैं जो स्कूलों में सामाजिक दूरी के सख्त नियमों को लागू कर सकते हैं।’ ‘कुल मिलाकर, शिक्षण पर इसका असर काफी होने वाला है, भले ही इसकी तीव्रता को कम करना मुश्किल है।’ हाल में जारी वार्षिक रिपोर्ट के चौथे संस्करण में कहा गया कि कोविड-19 वैश्विक महामारी का वंचित विद्यार्थियों पर ज्यादा असर पड़ेगा, जिनके पास घर पर संसाधन कम हैं और यह सामाजिक-आर्थिक अंतर को और बढ़ाएगा।

रिपोर्ट में कहा गया, ‘कम और मध्यम आय वाले देशों में से 17 फीसद देश और शिक्षक भर्ती करने की, 22 फीसद कक्षा का समय बढ़ाने और 68 फीसद स्कूल दोबारा खुलने पर सधारात्मक कक्षाएं शुरू करने की



योजना बना रहे हैं।

इन कक्षाओं की योजना कैसे होगी और इन्हें कैसेी शक्ल दी जाएगी, यह इस लिहाज से देखना बहुत अहम होगा कि वंचित विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल पाता है या नहीं।’ इसमें कहा गया, ‘कोविड-19 संकट ने दिखाया है कि यह मुद्दा संचार माध्यमों तक लोगों की असमान पहुंच (डिजिटल डिवाइड) की समस्या को दूर करने के लिए केवल

राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, नई दिल्ली पीठ, नई दिल्ली के समक्ष कम्पनी आवेदन सं. सीए (सीएफ़)–55 (पीबी)/2020 (कम्पनी अधिनियम, 2013 की धाराएं 230-232 के अंतर्गत) कम्पनी अधिनियम, 2013 के मामले में तथा सिप्रिटेड ऑटो कार्स (आई) लिमिटेड तथा सिप्रिटेड मोटर व्हीकल्स लिमिटेड तथा उसके संबंधित शेयरधारकों तथा क्रेडिटर्स के बीच व्यवस्था की योजना के मामले में

मामले में: सिप्रिटेड ऑटो कार्स (आई) लिमिटेड, कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निर्गमित कम्पनी जिसका पंजीकृत कार्यालय 2रा तल, एफ-7, ब्लॉक बी-1, मोहन कोऑपरेटिव इंडस्ट्रियल इस्टेट, मधुरा रोड, नई दिल्ली-110044 में है

–डिमर्ज्ड कम्पनी/आवेदक कम्पनी 1
तथा
सिप्रिटेड मोटर व्हीकल्स लिमिटेड, कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निर्गमित कम्पनी जिसक पंजीकृत कार्यालय 2रा तल, एफ-7, ब्लॉक बी-1, मोहन कोऑपरेटिव इंडस्ट्रियल इस्टेट, मधुरा रोड, नई दिल्ली-110044 में है

परिणामी कम्पनी/आवेदक कम्पनी 2
सिप्रिटेड ऑटो कार्स (आई) लिमिटेड के इक्विटी शेयरधारकों तथा प्रेफरेंस शेयरधारकों की बैठकें तथा सिप्रिटेड मोटर व्हीकल्स लिमिटेड के इक्विटी शेयरधारकों की बैठकें जो अधिकरण द्वारा आमंत्रित की गई हैं, की सूचना का विज्ञापन एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी आवेदन सं. सीए (सीएफ़)–55 (पीबी)/2020 में आदेश तिथि 26 जून, 2020 (“आदेश”) के द्वारा राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, नई दिल्ली की माननीय प्रधान पीठ (“अधिकरण”) ने निर्देश दिया है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 (“अधिनियम”) की धारा 230 से 232 तथा लागू होने वाले अन्य प्रावधानों के अंतर्गत एएसएसीआईएल तथा एएसएमवीएल तथा उसके संबंधित शेयरधारकों तथा क्रेडिटर्स के बीच व्यवस्था की प्रस्तावित योजना (“योजना”) पर विचार करने तथा यदि उपयुक्त पाया गया तो संशोधन (नोट) के साथ या उसके बिना उसे स्वीकार करने के लिये सिप्रिटेड ऑटो कार्स (आई) लिमिटेड (“एसएससीआईएल”) के इक्विटी शेयरधारकों तथा प्रेफरेंस शेयर धारकों को अलग- अलग बैठकें तथा साथ ही यह भी निर्देश दिया है कि सिप्रिटेड मोटर व्हीकल्स लिमिटेड (“एसएमवीएल”) की इक्विटी शेयरधारकों की बैठकें आयोजित की जाये।

उक्त आदेश तथा उसमें दिये गये निर्देश के अनुपालन में एतद्वारा पुनः सूचित किया जाता है कि:
i) एसएससीआईएल के इक्विटी शेयरधारकों की एक बैठक शनिवार, 1 अगस्त, 2020 को 10.30 अप. में विडियो कॉन्फ्रेंसिंग अथवा अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (“वीसी/ओएवीएम”) द्वारा आयोजित की जायेगी जिसमें एसएससीआईएल के उक्त इक्विटी शेयरधारकों से अनुरोध है कि वीसी/ओवीएम सुविधा का उपयोग कर उक्त बैठक में शामिल हों।
ii) एसएससीआईएल के प्रेफरेंस शेयरधारकों की एक बैठक शनिवार, 1 अगस्त, 2020 को 11.30 पूर्वा. में विडियो कॉन्फ्रेंसिंग अथवा अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (“वीसी/ओ एवीएम”) द्वारा आयोजित की जायेगी जिसमें एसएससीआईएल के उक्त प्रेफरेंस शेयरधारकों से अनुरोध है कि वीसी/ओवीएम सुविधा का उपयोग कर उक्त बैठक में शामिल हों।
iii) एसएमवीएल के इक्विटी शेयरधारकों की एक बैठक शनिवार, 1 अगस्त, 2020 को 12.30 अप. में विडियो कॉन्फ्रेंसिंग अथवा अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (“वीसी/ओएवीएम”) द्वारा आयोजित की जायेगी जिसमें एसएससीआईएल के उक्त इक्विटी शेयरधारकों से अनुरोध है कि वीसी/ओवीएम सुविधा का उपयोग कर उक्त बैठक में शामिल हों।

क्रमशः एसएससीआईएल तथा एसएमवीएल की उपरोक्त बैठकें (“बैठकें”) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी समर्मुल नं. 14/2020 तिथि 8 अप्रैल, 2020 के साथ पठित समर्मुल नं. 17/2020 तिथि 13 अप्रैल, 2020 तथा 22/2020 तिथि 15 जून, 2020 में वर्णित प्रचलन प्रक्रियाओं (यथा वॉलित संबंधित संशोधनों के साथ) का अनुसरण करते हुए वीसी/ओएवीएम द्वारा आयोजित की जायेगी। पुनः कृपया ध्यान रहे कि कोविड-19 महामारी के कारण वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए सामूहिक ग्थान पर भौतिक उपस्थिति की आवश्यकत वाली कोई बैठकें नहीं होंगी।

उपस्थित रहने तथा मतदान करने के लिये अधिकृत व्यक्ति ध्यान रखें कि बैठकों के दौरान वे उपलब्ध कराई गई वीसी/ओएवीएम सुविधा द्वारा मतदान कर सकते हैं। प्राप्तिस्थलों की शेयरधारकों द्वारा नियुक्ति की सुविधा बैठकों के लिये उपलब्ध नहीं होगी फिर भी, बांड़ी कॉर्पोरेट जो एक शेयरधारक है, बैठकों में भाग लेने तथा/अथवा मतदान करने के लिये प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति कर सकता है। पुनः ऐसे कॉर्पोरेट सदस्यों (व्यक्तियों, एचएफएफ, एनआरआई आदि को छोड़कर) को मतदान के लिये अधिकृत विधिवत प्राधिकृत हस्ताक्षरकों (कर्त्ताओं) के हस्ताक्षर के नमूनों के साथ संबंधित बोर्ड अथवा शासी निकाय के प्रस्ताव/प्राधिकार की स्कैन की गई प्रति (पीडीएफ/जेपीसी फ़ारफ़) rakeshmishra@mass.motherson.com (एसएससीआईएल के लिये) तथा devinderkansal@saacil.in (एसएमवीएल) के लिये) को बैठकों की निर्धारित समय से कम से कम 48 घंटे पूर्व भेजना होगा।

कम्पनी (समझौता, व्यवस्था तथा समामेलनों) के नियम 6 के साथ पठित अधिनियम की धारा 230(3), 232(1), 232(2) तथा 102 के अंतर्गत संबंधित व्याख्यात्मक विवरण तथा योजना (“सूचना”) सहित उसके संलग्नक दस्तावेजों के साथ बैठकों से संबंधित सूचनाओं की प्रति किसी भी कार्य दिवस को (शनिवार, रविवार तथा सार्वजनिक अवकाश दिवस को छोड़कर) एसएससीआईएल/एसएमवीएल (जो लागू हो) के पंजीकृत कार्यालय 2रे तल, एफ-7, ब्लॉक बी-1, मोहन को-ऑपरेटिव इंडस्ट्रियल इस्टेट, मधुरा रोड नई दिल्ली-110044 से निःशुल्क प्राप्त की जा सकती है। पुनः यह सूचना www.smil.co.in पर भी प्रदर्शित है। एसएससीआईएल तथा एसएमवीएल को rakeshmishra@mass.motherson.com (एसएससीआईएल के लिये) तथा devinderkansal@saacil.in (एसएमवीएल के लिये) पर उसके किसी भी शेयरधारक द्वारा की गई योजना की कोई रिकॉर्डेशन एक दिन पूर्व तथा योजना की एक प्रति प्रस्तुत करना होगा अधिकरण ने उसके किसी भी स्थगन(णों) सहित श्री संजय कालिया, एसएससीआईएल के स्वतंत्र निदेशक को इन बैठकों का अध्यक्ष तथा उनकी विफलता में सुश्री मधु भाकर, एसएससीआईएल के स्वतंत्र निदेशक को बैठकों का वैकल्पिक अध्यक्ष नियुक्त किया है। अधिकरण ने उसके किसी भी स्थगन(णों) सहित बैठकों के पर्यवेक्षक के रूप में श्री डी.पी. गुप्ता, कार्यरत कम्पनी सचिव को नियुक्त किया है। योजना यदि बैठकों में स्वीकृत होती है, अधिकरण की परवर्ती स्वीकृति के अधीन होगी।

सिप्रिटेड ऑटोकार्स (आई) लिमिटेड के लिये सिप्रिटेड मोटर व्हीकल्स लिमिटेड के लिये
हस्ता./-
राकेश मिश्रा
(कम्पनी सचिव एवं प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)
देविन्दर कंसल
(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)
तिथि: 30 जून, 2020
स्थान: नई दिल्ली



डाबर इंडिया लिमिटेड

CIN - L24230DL1975PLC007908

वेबसाइट कार्यालय 8/3, आसफ़ अली रोड, नई दिल्ली-110 002

Tel. No. - 011-22253488, Fax No. - 011-22222051

Website - www.dabur.com; e-mail:investors@dabur.com

सूचना

सेबी के सूचीयन विनियम के विनियम 47(1)(A) के तहत एतद्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी के निदेशक मण्डल की बैठक गुस्वार, 30 जुलाई, 2020 को नई दिल्ली में आयोजित की गई है जिसमें 30 जून, 2020 को समाप्त हो रहे तिमाही के अन्केशित वित्तीय परिणामों पर विचार किए जायेंगे।

निवेशक हमारी वेबसाइट www.dabur.com एवं स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट www.nseindia.com, और www.bseindia.com की देख सकते हैं।

नई दिल्ली

30 जून, 2020

कृते डाबर इंडिया लिमिटेड

(ए.के. जैन)

ई.वी.पी. एवं कंपनी सचिव

विवरण	स्टैटइएलोन				हिन्दी			
	समापन तिमाही		समापन वर्ष		समापन तिमाही		समापन वर्ष	
	31.03.2020 (अनंकेशित)	31.03.2019 (अनंकेशित)	31.03.2020 (अंकेशित)	31.03.2019 (अंकेशित)	31.03.2020 (अनंकेशित)	31.03.2019 (अनंकेशित)	31.03.2020 (अंकेशित)	31.03.2019 (अंकेशित)
परिचालन से कुल आय	-	-	-	-	-	-	-	-
कर तथा एसोसिएट्स एवं संयुक्त उपक्रमों में (हानि)/लाभ के शेयर से पूर्व शुद्ध लाभ/(हानि)	(26.24)	(2.13)	(42.54)	(16.25)	(26.51)	(2.41)	(16.88)	(16.88)
कर तथा विशिष्ट मर्दों के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि)	(26.24)	(777.35)	(42.54)	(791.47)	(66.51)	(777.64)	(83.25)	(1005.07)
अवधि के लिए कुल व्यापक (हानि)/लाभ	(26.24)	(777.35)	(42.54)	(791.47)	(66.51)	(777.64)	(83.25)	(1005.07)
प्रदात इक्विटी पूंजी (सम मूल्य र. 1/- प्रति)	1998.90	1998.90	1998.90	1998.90	1998.90	1998.90	1998.90	1998.90
पुनर्मुल्यांकन आरक्षित के अतिरिक्त आरक्षित (अंतिम अंकेशित तुलन पत्र के अनुसार)	-	-	(758.64)	(819.68)	-	-	(1519.03)	(1551.14)
आय प्रति शेयर (रु. 1/- प्रति का) (वार्षिकीकृत नहीं)	(0.013)	(0.389)	(0.021)	(0.396)	(0.033)	(0.389)	(0.042)	(0.0503)
मूल दरल	(0.013)	(0.389)	(0.021)	(0.396)	(0.033)	(0.389)	(0.042)	(0.0503)
टिप्पणी:								
1. उपरोक्त सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33, के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज में दाखिल 31 मार्च, 2020 को समाप्त तिमाही एवं वर्ष के लिए अंकेशित वित्तीय परिणामों (स्टैटइएलॉन एवं समेकित) के विस्तृत फ़ारूप का सार है। 31 मार्च, 2020 को समाप्त तिमाही एवं वर्ष के अंकेशित वित्तीय परिणामों (स्टैटइएलॉन एवं समेकित) का सम्पूर्ण फ़ारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट (www.bseindia.com) तथा कंपनी की वेबसाइट (www.tritroncorp.in) पर उपलब्ध है।								
2. उपरोक्त स्टैटइएलॉन तथा समेकित वित्तीय परिणामों को उसके अंतर्गत जारी संबंधित नियमों तथा लागू होने वाली एरिया तक अन्य मान्यता प्राप्त लेखा सिद्धांतों तथा नीतियों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत यथा निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानक (“इंड एस”) के अनुसार तैयार किया गया है।								
बोर्ड के आदेश से ट्राइटन कॉर्प लिमिटेड के लिए हस्ता./- सुधीश कुमार रस्तोगी (अध्यक्ष)								